1/6929/2019





भारत सरकार
Government of India
विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
Central Electricity Authority
पी. डी एम. प्रभाग

To,

Sh. Kamal Singh General Manager (Technical), Indraprastha Power Generation Co. Ltd. (IPGCL), Rajghat Office Complex, New Delhi -110002 (Delhi)

Subject: - Decommissioning of coal based Rajghat Power Station Units 1&2 (2*67.5 MW) of Indraprastha Power Generation Company Limited (IPGCL)-regarding.

Sir,

Reference is invited to letter no. GM (T)/RPH/F-223/613 dated 18.09.2019 received from General Manager (T) RPH, I. P. Stn. & C.S. about commercial shut down and decommissioning of Unit 1&2 of Rajghat Power Station of Indraprastha Power Generation Company Limited (IPGCL).

It is seen from the letter that Department of Power GNCTD vide its letter no. GM(T)/RPH/F-10/1978 dated 25-07-2019 has conveyed the cabinet decision on closure of Rajghat Power Station w.e.f. 31.05.2015 or on the date as decided by DERC. Accordingly, the Board of Directors of IPGCL in its board meeting held on 21-08-2019 has consented the same vide its resolution number 96.4.1.

The decision to retire Rajghat Power Station has been taken by IPGCL based on their own techno-economic reasons and based on their decision, the capacity of these units are being deleted from the database of All India Installed Capacity.

Yours faithfully

Sd /-(P.C.Kureel) Secretary, CEA

Copy for information to:

- 1. PPS, Secretary, MoP
- **3.** SA to Chairperson, CEA
- **5.** SA to Member (Planning/Hydro/ Thermal/ E&C/GO&D/PS), CEA
- 2. All Chief Engineers of CEA
- 4. All Heads of Subordinate offices, CEA
- **6.** IT Division, CEA for uploading on CEA website





भारत सरकार Government of India विद्युत मंत्रालय Ministry of Power केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण Central Electricity Authority पी. डी एम. प्रभाग

सेवा में,

Sh. Kamal Singh General Manager (Technical), Indraprastha Power Generation Co. Ltd. (IPGCL), Rajghat Office Complex, New Delhi -110002 (Delhi)

विषय: इंद्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (IPGCL) के राजघाट पावर स्टेशन की कोयला आधारित इकाई सं. 1 एवं 2 (2*67.5 MW) की डीकमीशनिंग - के बारे में|

महोदय,

राजघाट पावर स्टेशन की यूनिट 1 और 2 के वाणिज्यिक शट डाउन और डीकमीशनिंग के बारे में इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (IPGCL) के महाप्रबंधक (टी) आरपीएच, आई.पी. स्टेशन एवं सी.एस. से प्राप्त पत्र संख्या जीएम(टी)/आरपीएच / एफ -223 / 613 दिनांक 18.09.2019 का संदर्भ ग्रहण करे |

पत्र से यह देखा गया है कि GNCTD के विद्युत विभाग ने अपने पत्र सं - जीएम (टी) / आरपीएच / एफ -10 / 1978 दिनांक 25.07.2019 द्वारा राजघाट पावर स्टेशन को दिनांक 31.05.2015 से या डीईआरसी द्वारा तय तारीख के अनुसार बंद करने के कैबिनेट निर्णय से अवगत कराया है । तदनुसार, 21.08.2019 को आयोजित बोर्ड की बैठक में आईपीजीसीएल के निदेशक मंडल ने संकल्प संख्या 96.4.1 के द्वारा इसे सहमति प्रदान कर दी है।

राजघाट पावर स्टेशन को रिटायर करने का निर्णय IPGCL द्वारा अपने तकनीकी-आर्थिक कारणों के आधार पर लिया गया है और उनके निर्णय के आधार पर, इन इकाइयों की क्षमता को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अखिल भारतीय स्थापित क्षमता के डेटाबेस से हटाया जा रहा है।

भवदीय,

(पी.सी. कुरील) सचिव, के.वि.प्रा.

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ:-

- 1. पी. पी. एस., सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय
- 2. अध्यक्ष, के.वि.प्रा. के वरिष्ठ सहायक
- 3. सदस्य (योजना/जल विद्युत /तापीय/ आ.एवं वा./ जी. ओ. एंड डी. / पी.एस.), के.वि.प्रा.
- 4.के.वि.प्रा. के सभी मुख्य अभियंता
- 5.के.वि.प्रा. के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के प्रधान
- 6.आई.टी. प्रभाग, के.वि.प्रा. को के.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए